न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 233/2016 **दायर दिनांकः 26/12/2016**

उनवान

1. घांसीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कालूलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)
2. छीतरलाल पुत्र कालूलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 30/06/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट. एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू में पुराना ख0न0 30 सिवायचक रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 27.06.1976 को वादी को अलोट की गई थी तथा वक्त अलोटमेन्ट वादी को कब्जा दे दिया गया था। तभी से वादी आज तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। नकल अलोटमेन्ट वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। बाद सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 30 रकबा 6 बीघा के नये ख0नं0 43 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 48/456 रकबा 0.06 है0 कुल 2 किता रकबा 1.01 है0 बनाये गये है जो वर्तमान में छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा निवासी खडीला के नाम खाता दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल व नकल जमाबन्दी खाता संख्या 37 संवत 2072 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। अलोटमेन्ट के बाद प्रतिवादी के कर्मचारियों ने गफलत एवं लापरवाही से इन्तकाल नं0 102 दिनांक 01.10.1977 को वादी के स्थान पर छीतरलाल बैरवा के नाम खोल कर तस्दीक कर दिया जिसके आधार पर छीतरलाल पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी

खडीला का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज कर दिया। नकल इन्तकाल, जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। इन्तकाल नं0 102 दिनांक 01.10.1977 ग्राम खडीला को वादी के हितों के विपरित होने के कारण प्रभाव शून्य करवाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा के स्थानपर वादी अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित कर दिया गया है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया तो वादी का वाद पेश करना बेकार हो जायेगा। अतः नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही धारा 80(2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में वादी द्वारा यह वाद पेश किया जा रहा है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद कारण प्रथम बार इन्तकाल नं0 102 दिनांक 01.10.1977 ग्राम खडीला खोलने पर व अन्तिम बार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबनदी में दर्ज करने का मौखिक निवेदन करने पर दिनांक 06.12.2016 को रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित करने के बावजूद भी वादी का नाम खाते में दर्ज नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। उपरोक्त विवादित आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू जिला बारां में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) इन्तकाल नं0 102 दिनांक 01.10.1977 को प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 37 ख0नं0 43 की 0.95 है0, ख0नं0 48/456 की 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.01 है0 पर छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा निवासी खडीला के स्थान पर वादी का नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी कम 2 के संबंध में तहसीलदार अटरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/1256 दिनांक 26.05.2022 से रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम खडीला के ख0नं0 43 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 48/456 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.01 है0 भूमि लगभग 8—10 वर्षों से घासीलाल पुत्र कालू जाति बैरवा काश्त कर रहा है एवं वर्तमान में भी यही व्यक्ति काश्त कर रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा एवं घांसीलाल पुत्र कालू बैरवा एक ही व्यक्ति है या अलग—अलग के संबंध में बताया कि गांव में छीतरलाल पुत्र भैरू जाति बैरवा व घांसीलाल पुत्र कालू बैरवा नाम के व्यक्ति ही निवास करते है। छीतरलाल पुत्र भैरू जाति बैरवा की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा नाम का कोई भी व्यक्ति खडीला गावं में निवास नहीं करता है।

3. साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 घांसीलाल पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी घांसीलाल ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू में पुराना ख0न0 30 सिवायचक रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 27.06.1976 को मुझे अलोट की गई थी तथा वक्त अलोटमेन्ट वादी को कब्जा दे दिया गया था। तभी से ही मैं आज तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा हूं। बाद सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 30 रकबा 6 बीघा के नये ख0नं0 43 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 48/456 रकबा 0.06 है0 कुल 2 किता रकबा 1.01 है0 बनाये गये है जो वर्तमान में छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा निवासी खडीला के नाम खाता दर्ज है। अलोटमेन्ट के बाद प्रतिवादी के कर्मचारियों ने गफलत एवं लापरवाही से इन्तकाल नं0 102 दिनांक 01.10.1977 को मेरे स्थान पर छीतरलाल बैरवा के नाम खोल कर तस्दीक कर दिया जिसके आधार पर छीतरलाल पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी खडीला का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज कर दिया। इन्तकाल नं0 102 दिनांक 01.10.1977 ग्राम खडीला को मेरे हितों के विपरित होने के कारण प्रभाव शून्य घोषित करवाकर

राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा के स्थान पर मैं अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw2 प्रहलाद पुत्र कस्तूरचन्द जाति मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी कस्तूरचन्द ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल खडीला तहसील अटरू में पुराना ख0न0 30 सिवायचक रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 27.06.1976 को वादी को अलोट की गई थी तथा वक्त अलोटमेन्ट वादी को कब्जा दे दिया गया था। तभी से ही घांसीलाल आज तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। बाद सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 30 रकबा 6 बीघा के नये ख0नं0 43 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 48/456 रकबा 0.06 है0 कुल 2 किता रकबा 1.01 है0 बनाये गये है जो वर्तमान में छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा निवासी खडीला के नाम खाता दर्ज है। वादी राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा के स्थान पर घांसीलाल अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

4. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में इन्तकाल नं0 102 दिनांक 01.10.1977 को प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 37 ख0नं0 43 की 0.95 है0, ख0नं0 48/456 की 0.06 है0 कुल किता 2 रकबा 1.01 है0 पर छीतरलाल पुत्र कालू बैरवा निवासी खडीला के स्थान पर वादी का नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

5. अभिभाषक वादी की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। सिलिंग आवंटन रजिस्टर तहसील अटरू (प्रदर्श 1) के अवलोकन से जाहिर है कि दिनांक 27.06.1976 को घांसी पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी खडीला को कुल 30 बीघा सिलिग सिवायचक में से 6 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त दिनांक को छीतरलाल पुत्र कालू के नाम से कोई भू आवंटन ग्राम खडीला में नहीं हुआ था। ग्राम खडीला तहसील अटरू जिला कोटा की नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से सिलिंग आवंटन की गैर खातेदारी का इंतकाल संख्या 102 तस्दीक करते समय वादी का नाम त्रुटिवश छीतर पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी खडीला दर्ज होना प्रतित होता है। वाद के सभी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छीतरलाल पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी खडीला दर्ज किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार अटरू से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.09.2021 व 26.05.2022 का अवलोकन महत्वपूर्ण है। उक्त रिपोर्टो के अवलोकन

से स्पष्ट है कि ग्राम खडीला में छीतरलाल पुत्र कालू जाति बैरवा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ घांसी पुत्र कालू जाति बैरवा का निवास होना बताया गया है। तहसीलदार की उक्त रिपोर्टो के अनुसार विवादित आराजी पर विगत 8–10 वर्षों से घांसीलाल पुत्र कालू जाति बैरवा ही कब्जा काश्त है। ग्राम पंचायत खुरी के पत्रांक 11 दिनांक 25.01.2021 से भी स्पष्ट है कि ग्राम खडीला में छीतरलाल पुत्र कालू जाति बैरवा नाम का कोई व्यक्ति न तो वर्तमान में निवास करता है और न ही कभी भूतकाल में निवास करता था। वास्तविक व्यक्ति घांसीलाल पुत्र कालू जाति बैरवा ही है और विवादित आराजी पर इन्ही का कब्जा है। वादी द्वारा पेश अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, व मतदान पहचान पत्र आदि के आधार पर भी वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में घांसीलाल पुत्र कालू जाति बैरवा दर्ज होना चाहिए।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खडीला के ख0नं0 43 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 48/456 रकबा 0.06 है0 कुल 2 किता रकबा 1.01 है0 आराजी में छीतरलाल पुत्र कालू के स्थान पर घांसीलाल उर्फ छीतरलाल पुत्र कालू जाति बैरवा दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 233/2016

उनवान

1. घांसीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कालूलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)
2. छीतरलाल पुत्र कालूलाल जाति बैरवा निवासी खडीला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0</u>
<u>एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खडीला के ख0नं0 43 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 48/456 रकबा 0.06 है0 कुल 2 किता रकबा 1.01 है0 आराजी में छीतरलाल पुत्र कालू के स्थान पर घांसीलाल उर्फ छीतरलाल पुत्र कालू जाति बैरवा दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30/06/2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)